न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील एल0आर0 एक्ट संख्या :-75/2022/जिला भीलवाड़ा

1. परबतिया पुत्र श्री कल्याण

2. श्रीमती सत्तू पत्नी श्री परबतिया

समस्त जाति कंजर, निवासी खाचरोल, तहसील माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा।

--अपीलांटस

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार महोदय, माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा।

--रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा दिनांक 03.06.2022 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 261/2020 बउनवानी सरकार बनाम परबतिया वगैरह।

उपस्थित अभिभाषः- श्री अजीत सिंह राठौड़(अपीलांट अभिभाषक)

श्री आकाश पारीक(राजकीय अभिभाषक)

निर्णय दिनांकः-30.09.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खाचरोल तहसील माण्डलगढ़ में खसरा नम्बर 1359/2 रकबा 2 बीघा भूमि आवंटित की गई थी। उक्त आवंटन राजस्थान मध्यम लघु सिचाई परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि आवंटन नियम 1968 के नियम 17(अ) के तहत किया गया था। मगर आवंटन नियमों की शर्तो का पालन नहीं करने पर तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा एक प्रार्थना पत्र आवंटन निरस्ती हेतु सक्षम न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा में प्रस्तुत किये तथा आवंटन को निरस्त कर भूमि पुनः बिलानाम दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली जिला कलक्टर न्यायालय से अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा न्यायालय में स्थानांतरित की गई। उक्त पत्रावली अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय में प्राप्त होने के बाद उनके द्वारा सुनवाई करते हुए सुनवाई की गई। बाद सुनवाई तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए आवंटन को खारित किया गया तथा भूमि को बिलानाम दर्ज करने का निर्देश देते हुए उसे सरकार के कब्जे में लेने का निर्णय दिनांक 03.06.2022 को पारित किया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई। अपील में अपीलांट द्वारा मुख्य आधार निम्नानुसार बताया गया-

1. आदेश 7 सीपीसी एवं आदेश 20 सीपीसी के अनुरूप निर्णय नहीं है।

2. आवंटन पत्रावली तलब नहीं की गई, जो कि धारा 80 एल0आर0एक्ट के आज्ञापक प्रावधान के विरूद्ध है।

3. आवंटन आदेश तथ्य छुपाकर मिथ्या कथन के आधार पर अथवा कमिटी को धोखा देकर प्राप्त नहीं किया गया। उक्त आदेश निरस्त नहीं किया जा सकता है।

4. मात्र कब्जाकाश्त में नहीं होने से , के आधार पर आवंटन निरस्त किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गिरदावरीयां प्रस्तुत की गई थी तथा संवत 2078 की गिरदावरी के अनुसार गेहूं की फसल काश्त की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:11 IST
Reason: SelfAttested

5. बहुत वर्षों के बाद आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता है। अपील स्वीकार की जायें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। साथ ही एक प्रार्थना पत्र , नियम 30, रैवन्यु कोर्ट मैन्युअल का एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड तलब किया जाकर प्राप्त किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 03.06.2022 प्रकरण संख्या 314/2019, ऑर्डरशीट दिनांक 10.10.2019 से 03.06.2022, तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र , मौकपर्चा खाचरोल दिनांक 21.09.2019, रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 21.09.2019, जमाबंदी ग्राम खाचरोल संवत 2071–74, खाता संख्या नया 526 आवंटित भूमि का नक्शाट्रेश दिनांक 21.09.2019, गिरदावरी दिनांक 21.09. 2019, विवादित खसरा नम्बर ग्राम खाचरोल, आवंटन आदेश दिनांक 15.07. 2002, नामातंरण संख्या 1142 , पत्रावली पर संलग्न है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर खसरा गिदावरी संवत 2063–66,2067–70 शपथ पत्र मेवालाल खटीक, नाथूलाल कंजर एवं जवासा कंजर संलग्न है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई, वकील अपीलांट द्वारा बहस में यह बताया कि ग्राम खाचरोल के खसरा नम्बर 1359/2 की 2 बीघा भूमि अपीलांट को आवंटित की गई थी। उक्त आवंटन 1968 के नियम के तहत किया गया था। जो गैर खातेदार के रूप में दर्ज किये गये थे। कब्जेकाश्त बाबत लगातार गिरदावरी प्रस्तुत की गई है। तहसीलदार माण्डलगढ़ के द्वारा आवंटन निरस्तीकरण बाबत प्रार्थना पत्र दिया गया है। दिनांक 03.06.2022 को ए0डी0एम भीलवाड़ा द्वारा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर निर्णय दिया गया। अपने निर्णय मे पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक नहीं लिखी हुई है। बिना आवंटन पत्रावली प्राप्त किये निरस्तीकरण का आदेश पारित किया गया है। जबकि एल0आर0एक्ट की धारा 80 के तहत रिकोर्ड मंगवाया जाना आवश्यक है। हमने भी कोई तथ्य नहीं छिपायें। कोई फर्जकारी नहीं की। बहस में राजकीय अभिभाषक ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही की है तथा हाईकोर्ट रूलिंग के संबंध में राज्य सरकार द्वारा कोई परिपत्र जारी नहीं किया गया है। रिब्युटल में अपीलांट वकील द्वारा बताया गया है कि हाईकोर्ट के निर्णय अधीनस्थ न्यायालय के उपर बाध्यकारी होते है तथा हमारा कब्जा शपथ पत्र के माध्यम से अन्य लोगो द्वारा भी बताया गया है।

सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम के प्रावधान पर अपील को देखा गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.06.2022 का है तथा अपीलांट द्वारा दिनांक 18.07.2022 को न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अपील को अंदर मियाद माना जाता है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अन्य प्रार्थना पत्र नियम 30 रेवन्यु कोर्ट मैन्युअल का अवलोकन किया गया। इसके अनुसार आवंटन आदेश की नकल भी प्राप्त नहीं हो पायी है। शीघ्र प्राप्त कर प्रस्तुत कर दी जायें। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। न्यायालय का यह मानना है कि अपीलांट

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:11 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु प्रयास किया जा रहा है। अतः अपीलांट का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अपीलाधीन आदेश में मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया है कि मौके पर आवंटी का खुद का काश्त नहीं है और आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है तथा आवंटी के द्वारा भूमि पर कब्जा नहीं होने पर कोई पुष्ट, साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। अतः इसके द्वारा आवंटन नियम का पालन करना नहीं किया गया है। अतः उनके द्वारा आवंटी का आवंटन खारिज करते हुए आवंटन निरस्त कर दिया गया तथा भूमि को बिलानाम करते हुए सरकार के कब्जे में लेने का निर्णय जारी किया गया। उक्त आवंटन दिनांक 15.07.2002 को कीमतन किया गया था तथा आवंटी को दो बीघा भूमि आवंटित की गई थी। प्रति बीघा भूमि मूल्य 1000 रूपये प्रति बीघा दर से कुल 2000 रूपये उसे जमा करवाने थे तथा उसे उक्त राशि 10 किश्तों में प्रत्येंक किश्त 200 रूपये की जमा करवानी थी। उक्त आवंटन आदेश के क्रमांक 9 पर नियम एवं शर्तें जिनके अन्तर्गत आवंटन किया गया का उल्लेख है। उक्त आवंटन राजस्थान उपनिवेशन(मध्यम एवं लघु सिंचाई) परियोजनाऐं में सरकारी भूमि आवंटन नियम सन् 1968 के अनुसरण में किया गया था।

नामातंरण संख्या 1142 से खसरा नम्बर 1359/2 रकबा 2 बीघा भूमि अपीलांटस को गैर खातेदार के रूप में दर्ज की गई। मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 21.09.2019 के अनुसार आवंटन वर्ष से आज दिनांक तक आवंटी का कब्जा नहीं रहा। अतः गैर खातेदार द्वारा आवंटन शर्त की पालना नहीं गई।

रिपोर्ट पटवारी दिनांक 21.09.2019 में भी आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने बाबत अंकन किया हुआ है। दिनांक 21.09.2019 में ही पटवारी द्वारा गिरदावरी प्रस्तुत की गई है। मगर उसमें संवत का हवाला नहीं दिया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रस्तुत खसरा गिरदावरी ग्राम खाचरोल संवत 2067–70 का अवलोकन किया गया। गिरदावरी के कॉलम नम्बर 5 में आवंटी परबतिया पिता कल्याण कंजर अंकित है। खरीफ में मक्की काश्त की गई है। 2069 में गेहूं दो बीघा रबी की फसल में काश्त किया हुआ बताया गया है। गिरदावरी संवत 2063–66 के अनुसार आवंटी द्वारा 2063 में रबी के दौरान गेहूं 2 बीघा में बोया गया। सन् 2064 में खरीफ में मक्की 2 बीघा, 2065 में खरिफ में मक्की व रबी में गेहूं तथा 2066 में रबी में गेहूं बोया जाना प्रकट होता है। पत्रावली पर प्रस्तुत शपथ पत्र नाथूलाल पुत्र शोकिन्दा कंजर के अनुसार आराजी नम्बर 1359/2 रकबा 2 बीघा भूमि पर परबतियां कंजर काश्त कर रहा है और रबी व खरीफ की फसल काश्त कर रहा है और वर्तमान में भी गेहूं की काश्त की है। उक्त शपथ पत्र नोटेरी द्वारा सत्यापित है। (दिनांक 12.04.2022 का है।) शपथ पत्र जवासिया कंजर पिता दरेसिया कंजर का है। यह भी आवंटित भूमि पर परबतिया कंजर का कब्जा एवं काश्त बताता है। उक्त शपथ पत्र [illegible] दिनांक 12.04.2022 को नोटेरी द्वारा सत्यापित किया गया। उक्त दोनों [illegible] गिरदावरी दस्तावेज सत्य फोटोप्रति के रूप में जिस पर तहसीलदार माण्डलगढ़ के हस्ताक्षर है। दिनांक 14.03.2022 को उक्त नकल जारी किया जाना पाया जाता है। आवंटी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.03.09 16:43:11 IST
Reason: SelfAttested

कब्जाकाश्त होना गिरदावरी दस्तावेजों से स्पष्ट होता है साथ ही उक्त दस्तावेजात सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये जाने पाये जाते है। जिन पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है। पटवारी द्वारा जो गिरदावरी प्रस्तुत की गई है उसके पीछे संवत का अंकन नहीं है। मौका पर्चा रिपोर्ट के अनुसार आवंटन वर्ष से अब तक आवंटी का कभी कब्जा नहीं रहा है। बिल्कुल असत्य है और तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में गिरदावरी से संबंधित समस्त रिकोर्ड पेश किया जाते तो अधीनस्थ न्यायालय को भी निर्णय करने में सुविधा होती, मगर लापरवाही के साथ तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र भी फोर्मेट के रूप में ,रिपोर्ट पटवारी हल्का भी फार्मेट के रूप में इनमें पूर्व से ही कुछ बाते लिखी हुई है तथा कुछ रिक्त स्थान के रूप में है। जिन पर बाद में लिखा हुआ है। यानी तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र भी साइकोस्टाइल रूप में है तथा पटवारी मौकापर्चा भी साइकोस्टाइल रूप में है। जो उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध गिरदावरी दस्तावेजात एवं शपथ पत्रों का अवलोकन नहीं करते हुए निर्णय दिया गया है। जो उचित नहीं है। न्यायालय इस बात से भी सहमत है कि प्रथम अपील अधिकारी को तहसीलदार से प्रकरण से संबंधित मूल अभिलेख मंगवाये जाने नियमों के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक थे। ऐसा उनके द्वारा नहीं किया गया, जो उचित नहीं है। अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील अपीलांट द्वारा आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.06.2022 द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा अन्तर्गत प्रकरण संख्या 261/2020 अपास्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि पत्रावली पर प्रस्तुत गिरदावरी दस्तावेजात शपथ पत्र एवं संबंधित नियम 1968 के संबंध में प्रकरण का पुनः भली भांति परीक्षण कर नये सिरे से निर्णय करें।

यह आदेश आज दिनांक 30.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:11 IST
Reason: SelfAttested